

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के अंतर्गत संघ सरकार के 46 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 74 सिविल अनुदानों के अंतर्गत तथा राजस्व, रेलवे, रक्षा, विज्ञान एवं पर्यावरण, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा डाक के मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/निगमों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

इन 46 सिविल मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय 2015-16 में ₹ 53,34,037 करोड़ से 2016-17 में ₹ 73,62,394 करोड़ तक 38 प्रतिशत तक बढ़ा। शामिल व्यय की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं स्थापित हो जो लेखापरीक्षा द्वारा उजागर बजट प्रबंधन तथा व्यय में कमियों का लगातार तथा प्रमाणपूर्वक संज्ञान लेगी जिससे कि किए जा रहे व्यय की दक्षता तथा प्रत्याशित परिणाम में सुधार होगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कोडल प्रावधानों तथा लागू नियमों एवं विनियमों के अनुपालन न होने के कारण गैर-कर राजस्व की हानि अथवा बकायों की गैर-वसूली के साथ-साथ परिहार्य अथवा अतिरिक्त भुगतान, परियोजना प्रबंधन में कमियों, खराब आंतरिक नियंत्रणों, वेतन तथा स्टाफ पात्रताओं के निर्गम में अनियमितताओं तथा खराब वित्तीय प्रबंधन के उदाहरणों को उजागर कर रहे हैं। लेखापरीक्षा ने मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार की अनियमितताओं का पाया जाना जारी रखा जो आंतरिक नियंत्रणों तथा बजट प्रबंधन की वर्तमान प्रणालियों को आगे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता के साथ-साथ पुनरावृत्ति से बचने हेतु लेखापरीक्षा निष्कर्षों की शीघ्र तथा प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का सूचक था।

इस प्रतिवेदन में 19 मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/निगम को शामिल करके ₹ 1,179.16 करोड़ वाली ऐसी

अनियमितताओं के 78 निर्देशी मामले¹ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ मुख्य मामलों का निम्नानुसार श्रेणी-वार सार प्रस्तुत किया गया है:

परिणाम बजट का विश्लेषण

परिणाम बजट का मूल उद्देश्य न केवल भौतिक परिणामों के अनुसार बल्कि उन परिणामों के भी जो राज्य मध्यस्थता तथा वित्तीय परिव्ययों के मौलिक प्रयोजन उद्देश्य हैं, के अनुसार वित्तीय परिव्ययों तथा निष्पादन के बीच संबंध स्थापित करना है। लेखापरीक्षा ने दो मंत्रालयों अर्थात् पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के परिणाम बजटों का यह निर्धारण करने हेतु विश्लेषण किया कि, क्या परिणाम बजट को तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का अनुपालन किया गया था जिससे वह अपने प्रत्याशित उद्देश्यों को पूरा कर सके। विश्लेषण ने वित्तीय परिव्ययों तथा भौतिक परिणामों के बीच बिना किसी सह-संबंध के परिणाम बजटों को तैयार करने से संबंधित दिशानिर्देशों से वास्तविक विचलन को उजागर किया। परिणाम बजटों तथा मंत्रालयों की वैब-आधारित ऑनलाईन प्रणालियों के बीच कार्यक्रम लक्ष्यों तथा आंकड़ों को दर्शाने में विसंगतियां थीं तथा वैब-आधारित ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग ने डाटा अविश्वसनीयता का सामना किया। ऐसे विचलनों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रत्येक संघटक के प्रति भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाये न जाने के कारण परिणाम बजट किये जा रहे वित्तीय परिव्ययों से अपेक्षित परिणामों को मापने के एक उपकरण के रूप में अपना अभिप्रेत उद्देश्य पूरा करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

¹ 78 मामलों में 'मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई/वसूलियों' के अंतर्गत पैरा 1.8 के अधीन सम्मिलित तीन पैराग्राफ तथा 62 व्यक्तिगत पैराग्राफ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 18 मामलों को पांच पैराग्राफ (पैराग्राफ सं. 7.2, 7.3, 12.4, 12.10 तथा 12.17) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है क्योंकि वह सामान्य कमियों के अधीन आते हैं।

I. गैर-कर राजस्वों की हानि

विदेश मंत्रालय

वीजा तथा कौंसुलर शुल्क के उदग्रहण/संशोधन से संबंधित विदेश मंत्रालय के अनुदेशों की आस्ट्रेलिया, बेहरीन, बर्न, चीन तथा दुबई में मिशनों/पोस्टों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम ₹74.83 करोड़ के राजस्व के कम संग्रहण में हुआ।

इसके अतिरिक्त, शिकागो में पोस्ट अपने लेखाओं का कान्सुलर शुल्कों तथा समुदाय कल्याण निधि के प्रेषणों से संबंधित अपने बैंक खातों के साथ मिलान करने में विफल रहा जिसका परिणाम यूएसडी 91,189 के दो वर्षों से अधिक के लिए बिना पता चले रहने में हुआ। यद्यपि पोस्ट ने सेवा प्रदाता से कम प्रेषण की वसूली की फिर भी विलम्बित प्रेषण पर ₹ 1.71 करोड़ के अनिवार्य दण्ड की अभी वसूली की जानी है।

(पैराग्राफ सं. 7.2)

II. बकायों की गैर-वसूली

लेखापरीक्षा ने तीन मंत्रालयों के अंतर्गत विभागों/स्वायत्त निकायों से संबंधित ₹ 89.56 करोड़ के कुल बकायों की गैर-वसूली के छः मामले पाए। इनमें से, ₹ 88.73 करोड़ वाले पांच मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के 23 पट्टाधारियों, जो चूक कर रहे थे, के संबंध में किराए के संग्रहण या परिसरों की बेदखली के लिए प्रभावकारी कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 66.10 लाख के पट्टा किराए की वसूली न होने के साथ-साथ संस्थान से संबंधित शैडों का अप्राधिकृत अधिभोग हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.18)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई की अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सहित प्रसारित करने के लिए गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा अग्रिम भुगतान के संबंध में अनुदेशों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ सं. 13.2)

पोत परिवहन मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई द्वारा जेएनपीटी के वित्तीय लाभ को सुरक्षित किए बिना निम्नतर राजस्व अंश पर मौजूदा बर्थ का संचालन करने वाली उसी कम्पनी को निकटवर्ती बर्थ देने के कारण नई बर्थ से वर्तमान बर्थ में यातायात का विपथन हुआ तथा पत्तन को राजस्व की परिणामी हानि हुई। 2015-17 से राजस्व की हानि कुल ₹ 54.72 करोड़ की थी।

(पैराग्राफ सं. 19.1)

मुम्बई पत्तन न्यास को अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 17.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई क्योंकि पत्तन लाइसेंसधारियों से सहमत दर पर बर्थशुल्क वसूल करने में विफल रहा। पत्तन ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना दरों के 130 प्रतिशत मान पर दरों में संशोधन को भी अनुमत किया जोकि अनियमित था।

(पैराग्राफ सं. 19.2)

मुम्बई पत्तन न्यास 1990-92 से नैमित्तिक व्यवसाय प्रभारों तथा सेवा प्रभारों का संशोधन करने में विफल रहा जो पत्तन को राजस्व की हानि का कारण बना। पत्तन द्वारा मई 2002 में प्रस्तावित संशोधित प्रभारों पर विचार करते हुए अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान हानि ₹ 15.10 करोड़ (लगभग) राशि की थी। यह हानि पत्तन द्वारा इन प्रभारों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तक जारी रहेगी।

(पैराग्राफ सं. 19.3)

III. वित्तीय प्रबंधन में कमियां

त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ नियमावली के गैर-अनुपालन का परिणाम तीन मंत्रालयों से संबंधित चार मामलों में ₹ 19.85 करोड़ की हानि में हुआ। इनमें से, ₹ 19.33 करोड़ के तीन मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सहायता अनुदान जारी करते समय विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए एमओयू में ब्याज तथा जुर्माना का उदग्रहण करने के लिए प्रावधान को शामिल न करने और एजेंसियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता के लिए बैंक गारंटियों का आग्रह नही करने के साथ **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

भारतीय, निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता द्वारा निधियों को सावधि जमा में निवेश करने की बजाय बचत बैंक खाते में रखने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 13.76 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.2)

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली सरकारी प्राप्तियों के रख रखाव से संबंधित केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का अनुपालन करने में विफल रहा था। इसने प्राप्तियों के लिए रोकड़ बही का उपयोग नहीं किया था और न ही इसने बैंक खातों के साथ कोई समाधान किया था। परिणामस्वरूप, ₹ 2.26 करोड़ के लंबे समय तक अनियमित रूप से सरकारी लेखे से बाहर रखा गया था।

(पैराग्राफ सं. 6.2)

IV. योजना दिशानिर्देशों/अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों का अनुपालन न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 10 मामले पाए जहाँ लागू दिशानिर्देशों अथवा नियमों एवं विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम पांच मंत्रालयों से संबंधित ₹ 66.47 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय में हुआ। इनमें से, ₹ 65.86 करोड़ के आठ मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी 'भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा (आईसीएच योजना)' हेतु एक योजना कार्यान्वित कर रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान संस्वीकृत 324 परियोजनाओं में से केवल 35 ही पूरी की गयी थीं जबकि 96 अनुदानग्राहियों ने मार्च 2017 तक प्रथम रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की थी। अकादमी ने संस्कृति मंत्रालय को आईसीएच योजना के अंतर्गत ₹ 4.25 करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति ₹ 5.77 करोड़ का व्यय सूचित किया था। सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता की अन्य योजना के अंतर्गत अनुदानों को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में संस्वीकृत किया गया था और अधिकांश परियोजना प्रस्तावों को राज्य अकादमियों/सरकारों के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा रहा था तथा अनुमोदन उचित प्रलेखनों के बिना ही अनुमोदन प्रदान किये जा रहे थे।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान योजना, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 160 कर्मचारियों के संबंध में ₹ 1.19 करोड़ के अतिरिक्त भविष्य निधि का अंशदान जमा कराया था।

(पैराग्राफ सं. 6.3)

विदेश मंत्रालय

एक सेवा प्रदाता ने यूएसए में मिशन एवं पोस्ट के साथ करार के उल्लंघन में आवेदको से वीजा तथा अन्य कांसुलर सेवाओं हेतु ₹ 14.39 करोड़ की सीमा तक का अधिक कूरियर शुल्क प्रभारित किया।

(पैराग्राफ सं. 7.4)

वैनकोवर, ह्युस्टन तथा सन फ्रांसिस्को स्थित पोस्ट ने नियमों तथा मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में ₹ 2.68 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय करके आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति की।

(पैराग्राफ सं. 7.5)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मानव संसाधन सेवा के प्रापण हेतु गठित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के निविदा मूल्यांकन समिति ने सरकार की प्रापण नीति के उल्लंघन में दो बोलीकर्ताओं को अनियमित रूप से अयोग्य ठहराया जिससे प्रापण प्रक्रिया व्यर्थ तथा नीति के उद्देश्य विफल हुए। अन्य मामले में, बोली दस्तावेज में निर्धारित मूल्यांकन मापदण्ड से परिवर्तन द्वितीय श्रेणी के अभिकरण को कार्य सौंपे जाने का कारण बना जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 9.1)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में एक प्रापण नियमपुस्तक के रूप में एक स्थापित प्रक्रिया की कमी थी जो आवश्यकता के साकल्यवादी तथा प्रणालीगत निर्धारण के आधार पर उपकरण के प्रभावी प्रापण प्रबंधन तथा सामयिक अधिग्रहण को सुनिश्चित कर सकती थी। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर, प्रापण किये जाने, वित्तवर्ष के अंत में भारी व्यय तथा प्रापण मामलों को आगे बढ़ाने में विलम्ब हुआ। उपकरण की आपूर्ति अथवा संस्थापना में विलम्ब हेतु कुल ₹ 72.77 लाख के दण्ड के उदग्रहण में विलम्ब तथा उपकरण की खराबी के समय के गलत परिकलन तथा संविदात्मक नियमों के अनुसार उपकरण की खराबी के अधिक समय हेतु लगभग ₹ 1.46 करोड़ के दण्ड की गैर-वसूली के साथ जहाँ आपूर्तिकर्ता ने अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा नहीं किया था वहां संस्थान अपने पास उपलब्ध संविदात्मक उपायों को लागू करने में भी विफल रहा। इसने दण्ड प्रावधानों के निवारक प्रभाव के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा के उचित निष्पादन को लागू करने हेतु संस्थान की समर्थता, दोनों को दुर्बल किया।

(पैराग्राफ सं. 9.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा लिंग समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्फीत अनुमानों पर ₹ 56.11 लाख के अनुदान की अधिक स्वीकृति थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.16 करोड़ के अनुदान के भुगतान वाली 31 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक के बीच की अवधियों के पश्चात भी अपूर्ण रही जबकि ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर तैयार किए गए दो होस्टल तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ सं. 12.3)

विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृत ₹ 3.30 करोड़ के अनुदान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के पास अप्रयुक्त पड़े थे जिससे वह उद्देश्य जिसके लिए ये संस्वीकृत हुए थे, पूर्ण नहीं हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.5)

V. उपकरण/बिल्डिंग/अवसरचना का व्यर्थ होना

अनुपयुक्त योजना तथा गतिविधियों के अनिवार्य समक्रमण की कमी का परिणाम निष्फल व्यय तथा चार मंत्रालयों से संबंधित छः मामलों में ₹ 18.87 करोड़ के मूल्य की परिसम्पत्तियों के व्यर्थ होने/उप-इष्टतम उपयोग में हुआ जैसा नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय मत्स्य पालन पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा साशिमि ग्रेड टुना के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए एक सुविधा केन्द्र की

स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों में विलम्ब के कारण ₹ 70.83 लाख का प्रत्याशित राजस्व छोड़ना पड़ा। इसके अलावा, ₹ 1.78 करोड़ की लागत से स्थापित एक सुविधा केन्द्र छह वर्षों से बेकार पड़ा रहा और परिकल्पित विदेशी विनिमय वृद्धि के रूप में लाभ और रोजगार अप्राप्य रहे।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, की एक इकाई द्वारा उपकरण के प्रापण में अनुपयुक्त योजना के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार निष्पादन करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के उपकरण व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹ 2.13 करोड़ के उपकरण को पांच वर्षों से अधिक के लिए इष्टतम उपयोग में नहीं लाया गया।

(पैराग्राफ सं. 9.2)

गृह मंत्रालय

पट्टे पर इंटरनेट लाइनों की खरीद सहित सर्वर और सॉफ्टवेयर की खरीद समक्रमण करने के लिए दिल्ली पुलिस की विफलता के परिणामस्वरूप सर्वर और सॉफ्टवेयर की स्थापना साढ़े तीन साल तक व्यर्थ रही तथा ₹ 1.11 करोड़ किराए के सर्वरों पर परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 10.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि, के लिए छात्रावास भवन, रसोई एवं भोजन के स्थान को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन या व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि मई 2012 में निर्मित होने के बाद से ही भवन अप्रयुक्त पड़ा रहा।

(पैराग्राफ सं. 12.6)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली ने मंत्रालय से अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना केन्द्रीय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन का निर्माण किया था जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹ 6.64 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 12.12)

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आपूर्ति आदेश की शर्तों को लागू करने के प्रभावी अनुवर्तन की कमी और खराब अनुबंध प्रथा के कारणवश ₹ 2.22 करोड़ के मूल्य के उपकरण अकार्यात्मक रहे।

(पैराग्राफ सं. 12.13)

VI. परियोजना प्रबंधन में कमियां

खराब परियोजना प्रबंधन जैसा स्थलों की पहचान तथा आबंटन में विलम्बों में दर्शाया गया है, प्राथमिकता की कमी तथा निर्माण कार्यों की प्रगति में विलम्ब 10 मामलों में परिहार्य व्यय अथवा कुल ₹ 224.46 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ। तीन मंत्रालयों से संबंधित वित्तीय विवक्षा वाले 10 मामलों में से नौ का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

विदेश मंत्रालय

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (साऊ) की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के आठ सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थापना की गई थी। साऊ ने अगस्त 2010 में कार्य करना प्रारम्भ किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसर का निर्माण, जिसे 2014 तक समाप्त किए जाने की योजना की गई थी, भारग्रस्त भूमि के आवंटन, मुकदमेबाजी तथा सांविधिक अनापत्तियों में विलम्ब के कारण पर्याप्त रूप से विलम्बित था। एमईए को किराए के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 1.97 करोड़ की छूट को छोड़ना था। परियोजना में विलम्ब ने ₹ 2.66 करोड़ की आवर्ती मासिक किराया देयता को भी बढ़ाया है।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

डब्लिन, पोर्ट मोर्सबी तथा वारसाँ स्थित मिशनों में नवीनीकरण तथा निर्माण कार्यों की प्रगति के मामले में अकुशल संपत्ति प्रबंधन के अनुचित विलम्ब तथा सिडनी में पोस्ट द्वारा प्राधिकरण के बिना तथा मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में पट्टानामा करने का परिणाम कुल ₹ 12.61 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ-साथ लम्बी अवधियों तक ₹ 45.16 करोड़ की सम्पत्ति के व्यर्थ होने में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 7.3)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली और केन्द्रीय जिले के लिए फरवरी 2013 में सीसीटीवी निगरानी परियोजना में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए तकनीकी आवश्यकता का मूल्यांकन और निर्धारण करने में **दिल्ली पुलिस** और गृह मंत्रालय की विफलता रही क्योंकि ₹ 42.94 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अक्टूबर 2017 तक परियोजना अपूर्ण रही। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस इन इलाकों के लिए सीसीटीवी कैमरों को किराए पर लेने में ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय कर रही है।

(पैराग्राफ सं. 10.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा निर्माण गतिविधियों तथा निधियों की उपलब्धता को प्राथमिकता सुनिश्चित किए बिना उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण तथा अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड को ₹ 138.41 करोड़ मूल्य के 49 निर्माण कार्यों को सौंपने के परिणामस्वरूप छः अपूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹ 22.65 करोड़ की निधियों का व्यय करने में हुआ जो मार्च 2017 तक व्यर्थ पड़े रहे थे।

(पैराग्राफ सं. 12.1)

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर द्वारा यूजीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं का निर्माण

कार्यों के निष्पादन में अनुपालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.32 करोड़ की लागत के अधिक होने के साथ-साथ समापन में विलम्ब हुआ। पुस्तकालय भवन आंशिक रूप से रिक्त तथा ₹ 15.40 करोड़ के व्यय करने तथा चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात भी अपूर्ण रही है। इसके अतिरिक्त, अविवेकपूर्ण स्थल चयन तथा अधिक निर्माण के साथ-साथ मानदण्डों से विचलन का परिणाम ₹ 19.82 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.2)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ₹ 5.29 करोड़ पर नवम्बर 2007 में हुडा से करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण के लिए 7,235.4 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण किया था। आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, भूमि का कब्जा लेने से दो वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। तथापि, इग्नू विभिन्न स्तरों पर सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा भवन का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.41 लाख की परिहार्य लागत के साथ परियोजना के अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ सं. 12.21)

VII. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी बकायों की कम वसूली, परिहार्य भुगतान तथा दोहरे भुगतान के साथ साथ चार मंत्रालयों से संबंधित पांच मामलों में कुल ₹ 13.60 करोड़ के प्रापण पर सदिग्ध व्यय का कारण बना। इनमें से ₹ 7.67 करोड़ के दो मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ने अपने स्वयं की निर्धारित प्रक्रिया तथा जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में एक गैर-सूचीबद्ध प्रकाशक से 1,830 पुस्तकों/जर्नलों की खरीद के प्रति ₹ 1.50 करोड़ का व्यय किया। इन 1,830 पुस्तकों/जर्नलों में से ₹ 81.45 लाख कीमत की 801 पुस्तकों तथा 180

जर्नलों से संबंधित न तो कोई पावती और न ही पुस्तकालय प्राप्ति पंजिका में कोई प्रविष्टि है जो व्यय को संदेहास्पद बनाता है।

(पैराग्राफ सं. 12.16)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रशासनिक प्रभार के संशोधित दर के संदर्भ में प्रतिष्ठानों द्वारा भेजे गए बकाया की पुष्टि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2017 अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

VIII. वेतन तथा स्टाफ पात्रताओं में अनियमितताएं

कार्मिकों के वेतन तथा पात्रताओं के भुगतान से संबंधित नियमावली तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन न करने का परिणाम पांच मंत्रालयों में 13 मामलों में कुल ₹ 26.23 करोड़ के अनियमित भुगतान/प्रतिपूर्ति में हुआ। इनमें से ₹ 24.53 करोड़ के 11 मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

गृह मंत्रालय

दिल्ली पुलिस के कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्फीत एयर किरायों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दावों को प्रस्तुत किया। यह दावे बिना संवीक्षा के पारित किए गए जिसके परिणामस्वरूप 435 कर्मचारियों को ₹ 2.56 करोड़ की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

(पैराग्राफ सं. 10.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने वर्तमान आदेशों के उल्लंघन में

जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज की उच्चतर दर अदा की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.4)

सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा विशेष भत्ते/मानदेय का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.8)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर ने 2011-16 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उनके कर्मचारियों द्वारा अप्राधिकृत एजेटों से खरीदी गई हवाई टिकटों के प्रति ₹ 1.28 करोड़ के हवाई किराए की अनियमित प्रतिपूर्ति की।

(पैराग्राफ सं. 12.10)

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप विश्वभारती, शांतिनिकेतन द्वारा मानदेयों के भुगतान से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.14)

नीति आयोग

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के संस्वीकृत पद को संशोधित किया था जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन और भत्तों पर ₹ 1.02 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 15.1)

विद्युत मंत्रालय

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के वेतनमान को अपनाने के बाद प्रतिपूर्ति भत्ते का लगातार भुगतान करने के परिणामस्वरूप 2014-15 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(*पैराग्राफ सं. 17.1*)

IX. स्वायत्त निकायों/विभागों/निगमों द्वारा परिहार्य भुगतान

सेवा कर के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में उचित सचेतना की कमी अथवा विद्युत की वास्तविक आवश्यकता की सामयिक समीक्षा की कमी का परिणाम सात मंत्रालयों से संबंधित 12 मामलों में ₹ 11 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम में मुख्यतः खाद्यान्नों तथा बोरियों के प्रापण तथा उनके संचलन तथा संवितरण से संबंधित वर्तमान अनुदेशों के गैर-अनुपालन के कारण कुल ₹ 632.58 करोड़ का परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय था। इनमें से, ₹ 543.62 करोड़ वाले 14 मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ₹ 223.58 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा जो राज्य सरकारी अभिकरणों (एसजीए) को बोरियों के प्रापण हेतु प्रदान की गई अग्रिमों पर ब्याज के कारण के साथ-साथ निर्धारित से अधिक दरो पर बोरियों की लागत की प्रतिपूर्ति के कारण निगम को देय थे। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंटेनर निगम से, खराब, कम तथा वर्षा प्रभावित बोरियों के लंबित दावों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में विफलता के कारण ₹ 2.86 करोड़ की गैर-वसूली थी।

(*पैराग्राफ सं. 5.1*)

एफसीआई ने स्टॉक के संचलन की अनुचित योजना के कारण ₹ 117.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। एक स्टेशन पर आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा संविदा सौंपने से पहले दूरी माप का अनुपालन न करने के

परिणामस्वरूप ₹ 12.96 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशित ट्रकों के प्रति कम आपूर्ति हेतु ठेकेदारों पर ₹ 89 लाख के परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

एफसीआई ने गेहूँ के प्रापण पर मंडी श्रम प्रभारों (एमएलसी) के रूप में अस्वीकार्य तत्वों की प्रतिपूर्ति पर वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अभिकरणों को ₹ 14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया था।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

एफसीआई ने पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की गई बैंक प्रत्याभूतियों की जांच किए बिना एसजीए को ₹ 145.74 करोड़ का प्रत्याभूति शुल्क अदा किया।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

एफसीआई कैथल सिलो में खाली भण्डारण स्थान का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफल रहा जिसका परिणाम एसजीए को कुल ₹ 6.49 करोड़ के अग्रनयन प्रभारों के परिहार्य भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.5)

एफसीआई द्वारा संरक्षा एवं अनुरक्षण प्रभारों से संबंधित मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ओडीशा क्षेत्र के अंतर्गत एसजीए को 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.32 करोड़ का अनियमित भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ सं. 5.6)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी फर्म द्वारा आयातित उपकरण पर लाभ उठाई गई सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 9.4)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भुवनेश्वर निर्धारित तिथि के भीतर सेवा कर की वापसी का दावा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई उचित सचेतना बरतने में विफल रहा और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण गतिविधियों पर ₹ 2.56 करोड़ की राशि के सेवा कर का अनियमित भुगतान किया गया था जिसपर सेवाकर के भुगतान की छूट थी।

(पैराग्राफ सं. 12.9)

सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई की विफलता के कारणवश अपने संसाधनों से सेवा कर के बकाया और ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

(पैराग्राफ सं. 12.11)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली की सही प्रकार से विद्युत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में विफलता तथा अनुबंध मांग को कम करने हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 1.42 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 16.1)

संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल सुपर पावर ट्रांसमिशन ऑल इंडिया रेडियो, बेंगलोर तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकता द्वारा संविदा मांग का गलत निर्धारण तथा संविदा मांग को कम करने हेतु विलम्बित कार्रवाई के परिणामस्वरूप संबंधित विद्युत शक्ति तथा संवितरण कम्पनियों को अदा किए गए बिलिंग मांग प्रभारों के प्रति ₹ 2.61 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 6.4, 13.1 & 20.1)